

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग धमतरी, संभाग-धमतरी (छ.ग.)

ज्ञापन क्र.

672

/शिल्प-17/धमतरी

दिनांक 17/2/2017

प्रति,

कलेक्टर,

जिला-धमतरी (छ.ग.)

विषय :- धमतरी जिले के धमतरी वन मंडल के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के द्वारा केरेगांव गट्टासिल्ली- बिरगुड़ी मार्ग के चौड़ीकरण से 24.147 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रहा है। जिसके प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु प्रभावित स्थल में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 (वन अधिकार अधिनियम 2016) के तहत प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

-000-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि धमतरी जिले के धमतरी वन मंडल के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के द्वारा केरेगांव गट्टासिल्ली- बिरगुड़ी मार्ग के चौड़ीकरण से 24.147 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रहा है। जिसके प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु प्रभावित स्थल में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 (वन अधिकार अधिनियम 2016) के तहत प्रमाण पत्र प्रदाय करने की कृपा करें।

सहपत्र :- प्रस्तावित वन भूमि का विवरण

9/

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग धमतरी
संभाग-धमतरी (छ.ग.)

पृ. क्र.

673

/शिल्प-17/धमतरी

दिनांक 17/2/2017

प्रतिलिपि :-

वन मंडलाधिकारी वन मंडल धमतरी, जिला-धमतरी को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

सहपत्र :- शून्य

9/

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग धमतरी
संभाग-धमतरी (छ.ग.)

17/2/17

आवक लिपिक
जिला कार्यालय धमतरी